

संख्या -

/15-7-04-168

प्रश्न

तथा

विषय -

तकतक - दिनांक

13/07/04

विषय -

नई दिल्ली में एक उक्त संदे मिले विधानमंडल को संबद्धता हेतु अज्ञात प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित

संबद्धता

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निवेदन है कि उक्त संदे मिले विधानमंडल को संबद्धता हेतु अज्ञात प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रमाणों के अधीन आगति नहीं है :-

विधानमंडल की प्रकीर्ण सीमाओं का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
 विधानमंडल की प्रमाण संपत्ति में आधा निर्धारण द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
 विधानमंडल में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के भ्रातृ बंधुओं के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० प्रा० शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधानमंडल में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानमंडल माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानमंडल की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि० हाइड्रोजन स्कूल सर्टीफिकेट प्रकाशित न होनी से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परीक्षा से जो प्रमाण प्राप्त होवे की तिथि से उ०प्र० प्रा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रमाण मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वयं को प्राप्त हो सकेगा।

For New Horizon School

Director

Principal

Director

Principal

NEW HORIZON SCHOOL

- 15- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से वास्तविक तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 16- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 17- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निषेधित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 18- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 19- उक्त शर्तों में राज्य सरकार केवानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय,

प्रमाणित प्रमाणित
प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित दिनांक तैय

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- माहलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, ~~...~~
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~...~~
- 4- निरीक्षक, आंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, ~~...~~
- 6- गार्ड फाइल।

For New Horizon School

[Signature]
Director

[Signature]
Principal

[Signature]

For New Horizon School

[Signature]

प्रेषक:-

शिव प्रकाश गुप्त
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में ,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र- 2 समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

लखनऊ: दिनांक 13 सितम्बर 2004

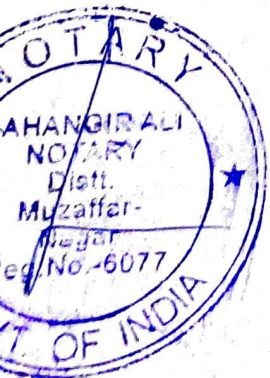
शिक्षा-7 अनुभाग

विषय:- न्यू होरीजन स्कूल जानसठ रोड मुजफ्फरनगर को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली के सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0 बी0 एस0 ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेगे और उनसे उ0 प्र0 मा0 शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/ कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषद की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, स्वतः समाप्त हो जायेगा।



25.09.2004

[Signature]

For New Horizon School
[Signature]
Principal

- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिषण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/ संशोधन/ परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय:-

(शिव प्रकाश गुप्त)

संयुक्त सचिव।

पू0 सं0 एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर।
- 4- निरीक्षक, आंगल भारतीय विद्यालय उ0 प्र0 लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, न्यू होरीजन स्कूल, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर।
- 6- गार्ड बुक।

For New Horizon School

Director

Principal

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश गुप्त)

